न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी

दाण्डिक वाद सं0–17/2026
अमर सिंह बनाम भूपराम
CNR No UPLP1000069-2026

अपराध सं0–600/2025
धारा–406, 419, 420 भा0दं0सं0
थाना–मोहम्मदी,
जिला–लखीमपुर खीरी।

10.06.2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.02.2026 पर पूर्व तिथि को सुना जा चुका है। पत्रावली एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

2– आवेदक अमर सिंह द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है जो कि संक्षेंप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने श्रीमानजी के द्वारा अं0धारा–175(2) बी0एन0एस0 के माध्यम से दिनांक 03.06.2025 को अभियुक्त भूपराम के विरुद्ध दिनांक 30.08.2025 को थाना मोहम्मदी में अं0धारा–406, 149, 420 बी0एन0एस0 के विरुद्ध लिखी गयी थी पर पुलिस ने कभी भी कोई सहयोग नहीं किया जबकि अभियुक्त से मिलकर अभियुक्त केबताये हुए गवाहों के बयान लिये तथा अभियुक्त भूपराम के बयान लिये तथा प्रार्थी से किसी प्रकार से बयान नहीं लिये तथा मूल कागज भी स्थानीय पुलिस ने ले लिये तथा स्थानीय पुलिस यह भी कहती रही कि हम तुम्हारी सुलह करा देंगे। स्थानीय पुलिस ने मेरे गवाहों के बयान नहीं लिये और न ही प्रार्थी के बयान लिये। अभियुक्त को लाभ पहुॅचाने के लिए एफ0आर0 लगा दी, इस कारण एफ0आर0 निरस्त किये जाने योग्य है। याचना की गयी है कि उपरोक्त वाद में लगायी एफ0आर0 को निरस्त कर पुनः विवेचना कराये जाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

3– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत मामले में आवेदक अमर सिंह द्वारा अभियुक्त भूपराम के विरुद्ध प्रश्नगत मामला अ0सं0–600/2025 धारा–406, 419, 420 भा0दं0सं0 के तहत पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। आवेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि पुलिस ने आवेदक व उसके गवाहों से पूछताछ किये बिना अभियुक्त से दुरभि सन्धि करके अन्तिम आख्या प्रेषित की है। आवेदक आगे मुकदमा चलाना चाहता है एवं स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामला परिवाद के रुप में संचालित करते हुए आवेदक को साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अन्तिम आख्या निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

4– विवेचक द्वारा प्रेषित मु0अ0सं0–600/2025 अं0धारा–406, 419, 420 भा0दं0सं0 थाना मोहम्मदी, खीरी के मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0–110/2025 निरस्त की जाती है। प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद के रुप में दर्ज होकर वास्ते बयान परिवादी दिनांक 15.07.2026 को पेश हो। विपक्षी को नोटिस जारी हो। कार्यालय लिपिक नियमानुसार नोटिस निर्गत करें।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।

10.

06.2026